7 —

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :— 93 / 2019

निर्णय दिनांकः— 05.03.2021

1. रामराज पुत्र श्योकरण जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
2. केसर पत्नी श्योकरण जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
3. स्वरूपी पुत्री श्योकरण जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रामस्वरूप पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
3. हरपाल पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
4. पन्नालाल पुत्र माधो जाति बैरवा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक
5. पुष्पा पुत्री ग्यारसा जाति बैरवा निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक मृतक
6. अर्जुन पुत्र भंवरपाल जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
7. कन्हैयालाल पुत्र भंवरपाल जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
8. चिरंजीलाल पुत्र भंवरपाल जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
9. जमनालाल पुत्र भंवरपाल जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
10. रतनलाल पुत्र भंवरपाल जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक
11. बदामदेवी पत्नी भंवरपाल जाति मीना निवासी अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक मृतक
12. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— श्री महेश कासलीवाल वकील प्रार्थीगण

श्री बाबूलाल कासलीवाल वकील अप्रार्थीगण न0 1 ता 3 व 6 ता 10

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 341 रकबा 1.50 है0,वाके ग्राम अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक है।

प्रार्थीगण अपने पुर्वजों के समय से संयुक्त खातेदारी भुमि ख0न0 341 रकबा 1.50 है0,पर चापोला तालाब से सहीदाबाद के रास्ते पर स्थित प्रतिपक्षीगण नं01 ता 05 के संयुक्त खोतदारी की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.40, ख0सं0 342 / 371 रकबा 0.44, खसरा नम्बर 342 / 372 रकबा 0.41, ख0न0 342 / 373 रकबा 0.44 वाके अलीनगर की पूर्वी मेड तथा प्रतिपक्षी न06 ता 11 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 343 रकबा 0.82 है0वाके अलीनगर की पश्चिमी मेड से होकर आते जाते चले आ रहे है।

यह कि प्रतिपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी के मध्य स्थित मेड से प्रार्थीगण अपने पुर्वजो के समय से अपने खेत पर पहुचते चले आ रहे है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो सें प्रतिपक्षीगण खेतो के मध्य स्थित मेड को फाडकर अपने खेतो में मिला रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की आराजीयात में पहुचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है तथा आये दिन लडाई झगडे की स्थिति बनी रही है।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

है तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षी ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थीगण के रास्ते को बंद कर दिया गया। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण को अपने सयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 341 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक पर आनेद जाने हेतु चापोला तालाब से सहीदाबाद के रास्ते पर स्थित प्रतिपक्षी नं01 ता 05 के संयुक्त खोतदारी की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.40,ख0सं0 342/371 रकबा 0.44,खसरा नम्बर 342/372 रकबा 0.41,ख0नं0 342/373 रकबा 0.44 वाके अलीनगर की पूर्वी मेड तथा प्रतिपक्षी न06 ता 11 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 343 रकबा 0.82 है0 वाके अलीनगर की पश्चिमी मेड के मध्य से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थी को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 व 6 ता 10 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के अधि0 ने प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी न0 5 व 11 का नाम डिलीट करने बाबत् पेश किया जिससे स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी न0 5 व 11 का नाम डिलीट किया गया । प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर आराजी ख0न0 341 में आने जाने के प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षी नं01 ता 05 के संयुक्त खोतदारी की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.40, ख0सं0 342/371 रकबा 0.44,खसरा नम्बर 342/372 रकबा 0.41,ख0नं0 342/373 रकबा 0.44 वाके ग्राम अलीनगर की पूर्वी मेड तथा प्रतिपक्षी न06 ता 11 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 343 रकबा 0.82 है0वाके अलीनगर की पश्चिमी मेड के मध्य से होकर प्रार्थीगण के ख0नं0 341 तक पहुचते है। जो उपयुक्त है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया की प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 341 पर आने--जाने के लिए तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार चापोला तालाब से सहीदाबाद के रास्ते पर स्थित प्रतिपक्षी नं01 ता 05 के संयुक्त खोतदारी की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.40, ख0सं0 342/371 रकबा 0.44,खसरा नम्बर 342/372 रकबा 0.41,ख0नं0 342/373 रकबा 0.44 वाके अलीनगर की पूर्वी मेड तथा प्रतिपक्षी न06 ता 11 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 343 रकबा 0.82 है0 वाके अलीनगर की पश्चिमी मेड के मध्य से होकर रास्ता दिलवाया जावे। तथा अप्रार्थीगा को उक्त रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2069--2074 वाके ग्राम अलीनगर तहसील उनियारा जिला टोंक के ख0न0 341 रकबा 1.50 है0 रामराज,केसर पुत्र श्योकरण व स्वरूपी पुत्री श्योकरण जाति मीना के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण वकील ने कथन किया प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 341 पर आने–जाने के लिए तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार चापोला तालाब से सहीदाबाद के रास्ते पर स्थित प्रतिपक्षी नं01 ता 05 के संयुक्त खोतदारी की आराजी खसरा नम्बर 342, 342/371 , 342/372 , 342/ तथा खसरा नं0 343 वाके अलीनगर की मध्य क मेड से रास्ता दिलवाया जाने में कोई आपत्ति नही है। तहसीलदार उनियारा ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया की मौके पर चापोला तालाब से सहीदाबाद के रास्ते पर स्थित प्रतिपक्षी नं01 ता 05 के संयुक्त खोतदारी की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 0.40,ख0सं0 342/371 रकबा 0.44, खसरा नम्बर 342/372 रकबा 0.41,ख0नं0 342/373 रकबा 0.44 वाके अलीनगर की पूर्वी मेड तथा प्रतिपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

न06 ता 11 के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 343 रकबा 0.82 है0वाके अलीनगर की पश्चिमी मेड के मध्य से होकर 20 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के ख0नं0 341 तक पहुचते है। जो उपयुक्त है। वर्तमान मे अप्रार्थीगण की सहमति पर प्रार्थीगण को दिया जाने वाला रास्ता न्यायोचित प्रतित है।

उपरोक्त तथ्यो को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित प्रस्तावित रास्ते के अनुसार ही प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि ख0न0 341 में आने–जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि ख0न0 ख0न0 341 में आने–जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 342, 342/371 , 342/372 , 342/ तथा खसरा नं0 343 वाके अलीनगर की मध्य की मेड से होकर 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, उनियारा